सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 08.09.2023

युवक की गला दबाकर हत्या करने वाली 01 अभियुक्ता को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी अजय कुमार पुत्र दरबारी लाल निवासी मोहल्ला यादव नगर गुलाबवाडी थाना जसवंतनगर, इटावा द्वारा थाना जसवंतनगर पर तहरीरी सूचना दी गयी थी कि दिनांक 02.06.2023 को जब उसके घर के अन्य सदस्य किसी कार्य हेतु कानपुर गये थे तो उसके पुत्र अनुपम उर्फ गोलू का गला दबाकर मनोरमा उर्फ मुन्नी(मृतक के साथ प्रेम प्रसंग होना), अनुज उर्फ टीटू, प्रवीण उर्फ पप्पू द्वारा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गयी। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना जसवंतनगर पर **मु0अ0सं0 151/2023 धारा 302 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा थाना जसवंतनगर से पुलिस टीम का गठन किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियो की रोकथाम एवं हत्या की घटनाओं के खुलासे हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 **151/2023 धारा 302 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्ता को मलाजनी मोड़ के पास से समय 10.15 बजे गिरफ्तार किया गया है।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनोरमा उर्फ मनु पत्नी अनुज कुमार यादव निवासी गुलाबबाडी यादव नगर थाना जसवंतनगर इटावा उम्र 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 151/2023 धारा 302 भादवि थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह प्रभारी थाना फ्रेण्ड्स कालोनी (विवेचक), हे0का0 रवि कुमार, मंजुला गौतम मय टीम